

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:—नर्सिंग / जोन—बीकानेर / एसीपी / 229 / 2023 /

दिनांक:—

—:: आदेश ::—

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 20 (1) एफ.डी. (ग्रुप-2) 92 दिनांक 25.01.1992 एवं एफ.14 (1) एफ डी(नियम)/2013-गा दिनांक 28.06.2013 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी /रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिन्होंने 09,18,27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से निम्नानुसार चयनित वेतनमान / एसीपी स्वीकृत कि जाती है:—

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	एसीपी देय तिथि व पूर्ण सेवा अवधि	देय पे बेन्ड / वर्तमान में प्राप्त पे मैट्रिक्स लेवल	देय पे ग्रेड / देय पे मैट्रिक्स लेवल
1.	अंगुरी देवी	चूरु	28.04.1994	28.04.2021 27 वर्ष	लेबल-11	लेबल-12
2.	मनोज कुमारी	चूरु	05.08.1994	05.08.2021 27 वर्ष	लेबल-11	लेबल-12
3.	हरप्रीत कौर	हनुमानगढ	05.08.1995	05.08.2022 27 वर्ष	लेबल-11	लेबल-12
4.	विद्या देवी	श्रीगंगानगर	08.04.2005	08.04.2023 18 वर्ष	लेबल-10	लेबल-11

नोट:— 1. उक्त कार्मिकाओं के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी सन्तान हुई है, तो नियमानुसार यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा।

(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

क्रमांक:—नर्सिंग / जोन—बीकानेर / एसीपी / 229 / 2023 / 411

दिनांक:— 24.08.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन—बीकानेर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ, चूरु, हनुमानगढ, श्रीगंगानगर।
3. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
4. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
6. आदेश / निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

Document certified by
SURESH NAWAL /sadd4ng@
Digitally Signed by Suresh
Kumar Nawal
Designation: Director
Date :23-08-2023 09:31:05